KHAN GLOBAL STUDIES

The Most Trusted Learning Platform

SSC GD FOUNDATION 2024 -25

Bilingual

PRABHU SIR

अनु. 41 –

राज्य, अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर, काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामलों में सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा। The State shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for the right to work, the right to education and to receive public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disability.

अनु. 42 - काम की उचित और मानवीय परिस्थितियों और मातृत्व राहत का प्रावधान
Provision of fair and humane conditions of work and maternity relief

अनुच्छेद 43- मजदुरों के लिए जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी :- मनरेगा (2008)

राज्य सभी श्रमिकों, चाहे कृषि, औद्योगिक या अन्य, को काम, जीवनयापन योग्य वेतन, सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित करने वाली काम की स्थितियाँ सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।

The State shall endeavor to ensure to all workers, whether agricultural, industrial or otherwise, work, a living wage and working conditions ensuring a decent standard of living.

अनुच्छेद 43A: मजदुरों का प्रबंधन मे भागीदारी

उदयोगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी , राज्य किसी भी उदयोग में लगे उपक्रमों, प्रतिष्ठानों या अन्य संगठनों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाएगा। Participation of workers in the management of industries The State shall take suitable steps to secure the participation of workers in the management of undertakings, establishments or other organizations engaged in any industry.

अनुच्छेद 43B: सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना। To promote voluntary formation, autonomous functioning, democratic control and professional management of co-operative societies.

DPSP → UCC

UCC

अनुच्छेद 44-राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। The State shall endeavor to ensure a uniform civil code for the citizens throughout India.

→ गोवा, उत्तराखण्ड

अनु. 21 → संस्कृति संरक्षण

कानून → समान दिवानी → विवाह / तलाक

कानून → अपराधिक / फौजदारी → समान-कानून

अनुच्छेद 45: सभी बच्चों को छह वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना। To provide early childhood care and education to all children until they complete six years of age.

→ 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान
आँगनवाड़ी

अनुच्छेद 46: राज्य समाज के कमज़ोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अन्य कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। The State shall promote the educational and economic interests of the weaker sections of the society, particularly the Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes (ST) and other weaker sections.

अनुच्छेद 47: पोषक तत्व एवं पोषाहार और मद्य निषेध

राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिये कदम उठाएगा और नशीले पेय तथा स्वास्थ्य के लिये हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा। The State shall take steps to improve the public health and prohibit the consumption of intoxicating drinks and drugs injurious to health.

गोवध निषेध

अनुच्छेद 48: कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना। गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने तथा मवेशियों को पालने एवं उनकी नस्लों में सुधार करने के लिये। To organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific basis. To ban the slaughter of cows, calves and other milch animals and to raise cattle and improve their breeds.

अनुच्छेद 48A: पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश के वनों एवं वन्यजीवों की रक्षा करना। To protect and improve the environment and the forests and wildlife of the country.

DPSP- राज्य

अनुच्छेद 49- यह राज्य का दायित्व होगा कि वह राष्ट्रीय महत्व के घोषित प्रत्येक स्मारक या स्थान या कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि की वस्तु को लूट, विकृति, विनाश, , जैसा भी मामला हो, सुरक्षित रखे। It shall be the duty of the State to protect every monument or place declared to be of national importance or object of artistic or historical interest from plunder, mutilation, destruction, as the case may be.

अनुच्छेद 50 -

राज्य की सरकारी सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान है. राज्य को न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका का अलगाव सुनिश्चित करना है. There is a provision to separate the judiciary from the executive in the government services of the state. The State has to ensure separation of judiciary and executive in public services to ensure judicial independence.

अनुच्छेद 51: अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि-Promotion of international peace and security

1. अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का Enhancement of international peace and security,
2. राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, To maintain just and respectful relations between nations,
3. संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतरराष्ट्रीय विधि और संधि-बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, और To increase respect for international law and treaty obligations in the dealings of organized people with each other, and
4. अंतरराष्ट्रीय विवादों के माध्य स्थम् द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का,

प्रयास करेगा| To encourage settlement of international disputes through arbitration, Will try

KHAN GLOBAL STUDIES

Most Trusted Learning Platform

THANKS FOR WATCHING